सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 07.11.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 07.11.2020 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

- **हत्या मे वांछित 02 अभियुक्त मय आला कत्ल के गिरफ्तार थाना गुन्नौर**

दिनांक 05.11.2020 को समय करीब 5.30 बजे ग्राम रसूलपुर में खेत की मेढ पर पेड काटने को लेकर हुए विवाद में बाबूराम पुत्र उदल सिंह व रामौतार पुत्र रामप्रकाश नि0 रसूलपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध थाना गुन्नौर पर मु0अ0स0-904/2020 धारा 302/504 भादवि व मु0अ0स0-905/2020 धारा 302/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की तलाश में सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी।

जनपद सम्भल में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में आज दिनांक 07.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गुन्नौर द्वारा मय पुलिस फोर्स के चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना ईशममपुर तिराहे से मृतक बाबूराम उपरोक्त की हत्या करने वाले अभियुक्तगण 1.बिजनेश पुत्र रामौतार 2. विद्याराम पुत्र रामप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विजनेश के कब्जे से एक अदद पोनिया 315 बोर नाजायज व अभियुक्त विद्याराम के कब्जे से एक अदद डण्डा घटना मे प्रयुक्त बरामद किया गया। मृतक रामौतार की हत्या करने वाले अभियुक्तगण की तलाश लगातार जारी है जिसमें तीन टीमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित की गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त बिजनेश ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05.11.2020 को शाम के समय मेरे पिता रामौतार पुत्र रामप्रकाश को गांव के ही रामाशंकर उर्फ बिच्छू व बाबूराम पुत्र उदल सिंह ने एक राय होकर खेत की मेढ पर पेड काटने को लेकर हुए विवाद मे रामांशकर उर्फ बिन्छे ने तमंचे से मेरे पिता के गोली मार दी थी तथा मौके से भाग गये थे। जिसमे बाबूराम को भागते समय मैने व विद्याराम और योगेश पुत्र रामतौर ने कुछ दूर भागकर प्रकाशी पुत्र रामलाल के खाली जुते हुए खेत में पकड लिया तथा बाबूराम के हाथ से छीन कर उसी की पोनिया रायफल तथा योगेश व विद्याराम द्वारा डण्डो से सिर व शरीर पर बाबूराम को काफी मारा पीटा जब तक उसकी मृत्यु नही हो गयी। उसकी हत्या के बाद हम लोग मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.विजनेश पुत्र रामौतार नि0 रसूलपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
2.विद्याराम पुत्र रामप्रकास नि0 रसूलपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0स0-905/2020 धारा 302/323/504/506 भादवि बिनाम बिजनेश आदि 03 नफर

2.मु0अ0स0-906/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम बिजनेश

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक

ईसमपुर तिराहा, दिनांक 7.11.2020

बरामदगी-

1. एक अदद पोनिया 315 बोर
2. एक डण्डा (आला कत्ल) घटना मे पयुक्त।

पुलिस टीम-

1- श्री संजीव कुमार प्र0नि0 थाना गुन्नौर जिला सम्भल

2- उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना गुन्नौर जिला सम्भल

3. उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

4. का0 994 दीपक कुमार थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

5. का0 33 अजनवी थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

6. का0 577 राजीव भडाना थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

➢ अवैध 269 ग्राम चरस व 1020 पुडिया गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना बनियाठेर-

जनपद सम्भल में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07/11/2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना बनियाठेर पुलिस ने ग्राम जनैटा जंगल में स्थित मुर्गी फार्म से अभियुक्त यामीन पुत्र भूरे नि0 ग्राम जनैटा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल को 269 ग्राम चरस व 1020 पुडिया गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यामीन पुत्र भूरे नि0 ग्राम जनैटा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

जंगल ग्राम जनैटा मुर्गी फार्म, दिनांक - 07.11.2020

बरामदगी का विवरण –

269 ग्राम चरस व 1020 पुडिया गांजा(कीमत लगभग एक लाख बीस हजार रूपये)

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 296/20 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बनियाठेर

गिरफ्तारी टीम-

1.थानाध्यक्ष राकेश कुमार थाना बनियाठेर जनपद सम्भल
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी नरौली थाना बनियाठेर,सम्भल
3. हे0का0 274 वेदप्रकाश थाना बनियाठेर जनपद सम्भल
4. हे0का0 284 रामकुमार थाना बनियाठेर जनपद सम्भल
5. का0 498 प्रमोद कुमार थाना बनियाठेर जनपद सम्भल

अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली-

मु0अ0सं0 383/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मो0 रफी पुत्र मो0 यामीन निवासी ओवरी थाना असमोली जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री रोशन सिंह द्वारा ग्राम ओबरी कब्रिस्तना के पास से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

<u>सट्टा खेलते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना नखासा-</u>

मु0अ0सं0 547/2020 धारा 13जी एक्ट में अभियुक्त चन्दा पुत्र राशिद निवासी ग्राम तुर्तीपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल को का0 141 राहुल सिंह द्वारा ग्राम तुर्तीपुरा से सट्टा खेलते हुए 01 सट्टा पर्ची, 940 रूपये, 01 पैन, 01 डायरी के साथ गिरफ्तार किया गया।